राष्ट्रीय आपातकाल
National Emergency

→ 1962 ---- 1965 ---- 1968 → राष्ट्रपति एस॰ राधाकृष्णन
भारत - चीन   भारत - पाक युद्ध

→ 1971 ---- 1977 वी॰वी॰ गिरी
भारत - पाक युद्ध

→ 1975 ---- 1977 → फ़ख़रुद्दीन अली अहमद
26.06.1975   21.03.1977

Article-355

→ संघ का एक कर्तव्य है कि वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करे और राज्य की सरकारें संविधान के अनुसार चले ऐसा सुनिश्चित करें।

Article-356

→ राज्यों में राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है यदि राज्य में संविधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है इस बात की सूचना राज्यपाल अपनी रिपोर्ट से देता है या राष्ट्रपति स्वयं आभास होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है!

प्रावधान No. - 2.

Article-365

→ यदि राज्य सरकार संघ सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन (अनुच्छेद - 255 256 के अंतर्गत) नहीं करती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद - 365 में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकते हैं!

→ उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है!

संसद का अनुमोदन
Approval of Parliament

→ राष्ट्रपति के उद्घोषणा के दो महीने के अंदर संसद साधारण बहुमत से अनुमोदित करता है।

→ एक बार के अनुमोदन के बाद 6 महीने राष्ट्रपति शासन चलता है फिर से अनुमोदन करने के बाद 6 महीना चलता है।

→ एक साल के बाद राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए भारत का निर्वाचन आयोग से यह अनुशंसा लेनी होती है कि राज्य में निर्वाचन कराने की परिस्थिति है या नहीं है।

→ यदि चुनाव की परिस्थिति नही है तो 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है।

राष्ट्रपति शासन की समाप्ति
End of President's Rule

→ राष्ट्रपति इसे कभी भी इसे समाप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव
Impact of President's Rule

→ राज्य की विधान सभा भंग हो जाती है।

→ राज्य के लिए कानूनो का निर्माण संघ सरकार करती है।

→ राज्य के बजट पर संघ सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है।

→ राज्यसूची के सभी विषयों पर कानून का निर्माण संघ करता है।

NOTE:-

→ सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगा था।

→ सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा।

मणिपुर → 10 बार

उत्तरप्रदेश → 9 बार

बिहार → 8 बार

राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुर्नवालोकन
Judicial Review of President's Rule

→ 1994 की एस.आर. बोम्बई वाद में Supreme Court ने निर्णय दिया राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुर्नवालोकन हो सकता है।

Article - 360

[वित्तिय आपातकाल Financial Emergency]

→ राष्ट्रपति अनुच्छेद -360 के तहत देश की वित्तिय साख को खतरे में होने पर तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करते हैं !

[संसद का अनुमोदन Approval of Parliament]

→ उद्घोषणा करने के 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है !

→ एक बार के संसद के अनुमोदन के पश्चात हमेशा के लिए वित्तिय आपातकाल लग जाता है !

[वित्तिय आपातकाल की समाप्ति End of Financial Emergency]

→ राष्ट्रपति इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं !

वित्तिय आपातकाल के प्रभाव
Impact of Financial Emergency

→ केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान में कटौती !

→ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती !

→ राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती !

→ Supreme Court High Court के न्यायधीशों के वेतन पेंशन में कटौती।

NOTE :-

→ राष्ट्रपति के वेतन में कोई कटौती नहीं होती है !

→ भारत में आज तक वित्तिय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है !

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

	राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद - 352)	राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद - 356)	वित्तीय आपात (अनुच्छेद - 360)
उद्घोषणा	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
आधार	3 → युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह	2 < 356, 365] राज्यपाल की रिपोर्ट	वित्तीय साख (धाक - खराब)
अनुमोदन समय	संसद / 1 महीना	संसद / 2 महीना	संसद / 2 महीना
बहुमत	विशेष बहुमत 2/3	साधारण बहुमत (50% +1)	साधारण बहुमत (50% +1)
लागू	अधिकतम 6 महीने अनिश्चित काल तक	6-6 महीने करके (EC) 3 वर्ष अधिकतम	1 बार - हमेशा के लिए
हटाना	राष्ट्रपति या लोकसभा 1/10 बहुमत से	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रभाव	विधायिका अपंग हो जाती है	भंग हो जाती है शक्ति संघ के पास	वित्त की शक्ति केन्द्र के पास
लागू	3 बार	मणिपुर - 10, उत्तरप्रदेश - 9, बिहार - 8	×

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

भाग - 11

केन्द्र राज्य संबंध
Centre state Relation.

भाग - 11 → विधायी संबंध (अनु॰ - 245-255); कार्यपालिका प्रशासनिक (अनु॰ - 256-263)

भाग - 12 → वित्तिय संबंध (अनु॰ - 264-293)

विधायी संबंध
(Legislative Relationship)
(Article - 245-255)

- क्षेत्र के आधार पर
  (Based on the Area)
  (Article - 245)
- विषय के आधार पर
  (Based on the Subject)
  (Article - 246)

Article - 245

[क्षेत्र के आधार पर
Based on the Area]

↓

Article - 245(1) | Article - 245 (2)

Article - 245(1)

→ केन्द्र संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण कर सकता है क्योंकि राज्य - राज्य के क्षेत्र के लिए कानून की निर्माण कर सकता है।

→ क्षेत्र के आधार पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास अधिक निहित है।

Article - 245 (2)

→ भारत की संसद भारत की राज्य क्षेत्र से बाहर के लिए भी कानून का निर्माण कर सकती है।
जैसे :- IPC.

→ जबकि राज्य सरकार अपने क्षेत्र से बाहर कानून का निर्माण नहीं कर सकती!

Article- 246

[विषय के संबंध में About the Subject]

→ विषयों के आधार पर विषयों को 3 सूची में बाँटा गया है

संघ सूची	राज्य सूची	समवर्ती सूची
→ वर्तमान - 100 विषय	→ 61 विषय	→ 52 विषय
→ संघ	→ राज्य	→ केन्द्र राज्य
जैसे:- परमाणु ऊर्जा, विदेशी संबंध, बैंकिंग, रेलवे, बाजार, रेलवे RPF, अंतरिक्ष, जनगणना।	जैसे:- पंचायत, नगरपालिका, पुलिस, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, रेलवे पुलिस (GRP)।	जैसे:- शिक्षा, वन (Forest), नापतौल (Measurement), न्यायिक प्रशासन, (Administration of judiciary) शादी - तलाख।

[राज्य सूची States List.]

→ राज्य सूची के बारे में कानून निर्माण करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित होती है।

[समवर्ती सूची Concurrent List]

→ समवर्ती सूची पर कानून निर्माण करने की शक्ति केन्द्र और राज्य दोनों में निहित होती है।

NOTE:-

→ केन्द्र और राज्य के मध्य किसी विषय पर टकराव होने पर केन्द्र के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं।

Article- 240

[अवशिष्ट शक्तियाँ Residual Powers]

→ ऐसे विषय जो केन्द्र राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र में निहित है।

→ अनुच्छेद- 249 के तहत राज्यसभा राज्यसूची के विषय में कानून निर्माण की शक्ति संसद को दे सकती है यदि कोई विषय राष्ट्रहित का है ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा 2/3 (उपस्थित मतदान) से पारित करती है।

→ ऐसे कानून सिर्फ 6 महीनें के लिए बनाए जाते हैं या 6 महीने के लिए लागू रहता है।

→ देश में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो पूरे देश के लिए कानून निर्माण की शक्ति संसद में निहित होती है।

→ संसद अनुच्छेद -250 के तहत संसद कानून निर्माण कर सकता है।

→ ऐसी विधि आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने के बाद स्वत: समाप्त हो जाती है।

NOTE:-

→ राष्ट्रपति शासन और वित्तिय आपातकाल के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं होता है।

→ संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून निर्माण कर सकती है यदि राज्य विधान मंडल ऐसा प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते है।

→ ऐसे कानूनों को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित होती है।

Article - 253

→ संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते लागू करने के लिए संसद संपूर्ण भारत क्षेत्र और किसी विशेष क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण कर सकती है।

केन्द्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध
Administrative relation between the centre and the state
(Article - 256-263)

Article-256

→ केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जब राज्य में होगा तो राज्य उसके खिलाफ कोई अवरोध पैदा न करें! (अनुच्छेद - 257)

→ राज्य का यह कर्तव्य होगा की केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे!

→ राज्य का यह कर्तव्य होगा की संसद के द्वारा बनाये गए विधि और कानूनों का अनुपालन करे एवं उसमें कोई बाधा उत्पन्न न करें!

जैसे:- Covid-19 के दौरान केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन राज्य सरकार ने किया!

NOTE:-

→ न करने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है!

Article - 257

→ राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा की केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति के विरुद्ध बाधा उत्पन्न ना हो केन्द्र राज्य को निर्देश दे सकता है अंतर्राज्यीय रेलवे, सेना, संचार, अनुसूचित जाति का कल्याण के लिए योजनाएँ, अल्पसंख्यक समुदाय को मातृ भाषा में शिक्षा।

Article - 258(1)

→ राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से राज्य को और अधिक कार्यपालिका संबंधि कार्य सौंप सकता है।

Article - 258(2)

→ संसद राज्य विधान मंडल की शक्ति से पड़े विषयों पर कानून का निर्माण करके राज्य सरकार के अधिकारियों और सरकार को अतिरिक्त कार्य सौंप सकती है।

Article - 258(3)

→ इन सब को लागू करने के लिए केन्द्र अतिरिक्त धन का व्यय करता है।

NOTE :-

→ संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है राज्यसभा 2/3 के उपस्थित मतदान के बहुमत के प्रस्ताव पारित करके अनुच्छेद-312 के तहत नयी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है।

→ वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएँ हैं।

IAS, IPS, IFoS

IFoS 1966 में गठित की गयी अखिल भारतीय सेवा के रूप में।।

Article-261

[पूर्ण विश्वास और मान्यता का उपबंध
Provision of full faith and Credit]

→ न्यायालय और संघ सरकार के निर्देशों का पालन पूरे देश में पूर्ण विश्वास के साथ किया जाएगा।

Article-262

[अंतर्राज्यीय नदी विवाद
Inter state River Dispute.]

→ दो राज्यों के मध्य नदी या जल विवाद होने पर संसद के द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा संसद अधिग्रहण (tribunal) का गठन करेगा।

NOTE :-

→ यह Supreme Court की प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रता के अंतर्गत नहीं आता है !

Article - 263

[अंतर्राज्यीय परिषद्
Inter - state Council]

→ राष्ट्रपति राज्यों के मध्य आपसी संबंधो को बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन करता है जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं 6 मंत्री सदस्य होते हैं सभी राज्यो के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं केन्द्र शासित प्रदेशो के प्रशासक सदस्य होते हैं

→ भारत में 18 May 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा

→ 10 oct 1990 को इसकी पहली बैठक हुई

[क्षेत्रीय परिषद्
Regional Council]

→ यह संवैधानिक संस्था नहीं है !

→ इसका गठन वर्ष 1956 में किया गया था !

→ राज्यों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देती (सहकारी संघवाद)

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin
इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

→ भारत में क्षेत्रीय परिषद्

North - उत्तरी   West - पश्चिमी

South - दक्षिणी   Middle - मध्य

East - पूर्वी   North East - उत्तर पूर्व

→ अध्यक्षता - गृह मंत्री

KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

भाग - 12

वित्तीय संबंध
(Financial Relation)
(Article - 264-293)

→ केन्द्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को वित्त आयोग अनुच्छेद - 280 आकस्मिक निधि, संचित निधि (अनुच्छेद - 266, 267) तथा करों के करारोपण के माध्यम से समझा जा सकता है।

→ राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार 20 कर (Tax) लगा सकती है।

1. कृषि आय पर कर
2. कृषि के उत्तराधिकार पर कर
3. शराब पर कर
4. भूमि और भवनों पर कर

→ संघ सरकार 14 विषयों पर कर (Tax) लगा सकती है।

1. निगम कर
2. आयकर
3. सीमा शुल्क
4. सम्पदा शुल्क

केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित विभिन्न आयोग
(Various Commissions related to Centre State Relations)

प्रशासनिक सुधार आयोग
Administrative Reforms Commission

→ सन् 1966 में केन्द्र सरकार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था जिसमें केन्द्र राज्यों का संबंधों का अध्ययन किया !

→ आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1969 में सौंपी थी !

अनुशंसाएँ :-

→ अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन किया जाए (अनुच्छेद - 263)

→ राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो किसी दल से ना हो और सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव हो !

सीतलवाड़ समिति
Setalvad Commission

→ 1966 में इसका गठन किया गया !

→ इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की !

[राजमन्नार समिति Rajamannar Commission]

→ इस समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 Sept, 1969 को Dr. पी. वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में की।

→ इस समिति ने केन्द्र राज्यों के संबंधों में राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की।

सुझाव :-

→ अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की।

→ राष्ट्रपति शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए।

[सरकारिया आयोग Sarkaria Commission]

→ 24 March 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया।
(शिवरमन, एस॰ आर॰ सेन और रणजीत सिंह सरकारिया)

→ रिपोर्ट - 1988.

सिफारिशें :-

→ अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन करें।

→ राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करके करें।

→ राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष करें।

पुंछी आयोग
Punchhi Commission

→ इस आयोग की स्थापना 27 April 2007 को [redacted] मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में की गई थी।

→ इसमें 4 सदस्य थें।

→ 2010 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।

→ समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करने से पहले केन्द्र राज्य के मध्य सहमति आवश्यक है।

→ राज्यपाल को पद से हटाना केन्द्र सरकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए।

KHAN GLOBAL STUDIES
Khan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR

संविधान की अनुसूचियाँ
Constitution Schedules

भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं

संविधान लागू होने समय 8 अनुसूचियाँ थी

अनुसूची	संबंधित विषय	संबंधित अनुच्छेद
प्रथम	राज्य के नाम एवं इनके राज्यक्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएँ	अनुच्छेद- 1-4
दूसरी	विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान	अनुच्छेद- 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221.
तीसरी	विभिन्न पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ ये पदाधिकारी है - संघ के मंत्री	अनुच्छेद- 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188, 219.
चौथी	राज्यों और राज्यक्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन	अनुच्छेद- 4(1) और 80(2)

अनुसूची	संबंधित विषय	संबंधित अनुच्छेद
पाचवीं	अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर	अनुच्छेद - 244(1)
छठी	असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	अनुच्छेद - 244(2) और 275(1)
सातवीं	संघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल हैं	अनुच्छेद - 246
आठवीं	→ आठवीं अनुसूची में शुरू में 14 भाषाएँ थी वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं → ये 22 भाषाएँ हिन्दी भाषा को उत्थान करने के लिए हैं NOTE:- इसमें में अंग्रेजी नहीं है NOTE:- बिहार से एकमात्र भाषा मैथिली 8वीं अनुसूची है → 1967 में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई → 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली मणिपुरी कोंकणी → 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी मैथिली संथाली	अनुच्छेद - 344(1) और 351.

अनुसूची	संबंधित विषय	संबंधित अनुच्छेद
नौवीं	→ इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। → इसमें जोड़े गए विषयों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता था। → इसमें 282 विषय हैं। → केशवानंद भारती वाद के बाद इस अनुसूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है।	अनुच्छेद - 31(2)
दसवीं	→ 52 वाँ संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। → इसमें दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा की निरर्हता का संबंध है। → दल-बदल के मामले का लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। → किहोतो - होलोहॉन मामले में Supreme Court ने निर्णय दिया की अध्यक्ष का भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है।	अनुच्छेद - 102(2) और 191(2)

अनुसूची	संबंधित विषय	संबंधित अनुच्छेद
ग्यारहवीं	→ इसको 73वे० संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया ! → इसमें पंचायत की शक्तियों का निर्धारण किया गया है ! → पंचायत में 29 विषय हैं !	अनुच्छेद - 243(7) और 243 (ज)
बारहवीं	→ इसे 74वे० संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया ! → वर्तमान में इसमें 18 विषय हैं ! → इसमें नगर पालिका के उत्तराधिकार एवं शक्तियों का वर्णन है !	अनुच्छेद - 243 (-च) और 243(W)

[वरीयता Precedence]

व्यक्तियों की रैंक तथा वरीयता सूची के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा

S.No.	वरीयता
1.	राष्ट्रपति
2.	उपराष्ट्रपति
3.	प्रधानमंत्री
4.	अपने-अपने राज्यों के राज्यपाल
5.	पूर्व राष्ट्रपति
5(क)	उप प्रधानमंत्री
6.	भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष
7.	संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री
	उपाध्यक्ष नीति आयोग
	पूर्व प्रधानमंत्री
	राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता
7(क)	भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति
8.	भारत में स्थित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत एवं राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त तथा अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री
	अपने-अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल

S.No.	वरीयता
9.	उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश
9(क)	अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
	मुख्य चुनाव आयुक्त
	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
10.	राज्यसभा के उपसभापति
	राज्यों के उप-मुख्यमंत्री
	लोकसभा के उपाध्यक्ष
	नीति आयोग के सदस्य
	संघ के राज्यमंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों से संबंधित कोई अन्य मंत्री
11.	भारत का न्यायवादी
	मंत्रिमंडल सचिव
	अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों में उप-राज्यपाल
12.	पूर्णतः जनरल रैंक के अथवा उनके समकक्ष रैंक वाले सेनाध्यक्ष
13.	भारत में प्रत्यायित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14.	अपने-अपने राज्यों में राज्य विधान-मंडली के सभापति एवं अध्यक्ष
	अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायधीश
15.	अपने-अपने राज्यों में राज्यों के कैबिनेट मंत्री
21.	सांसद (Member of Parliament)

भाग - 21

विशेष राज्य का दर्जा
Special Status.

विशेष राज्य में राज्य को अस्थायी तौर पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है संविधान में अनुच्छेद-370 में जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा दिया गया है 2019 में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है।

अनुच्छेद	राज्य
371	महाराष्ट्र - गुजरात
371 (A)	Nagaland
371 (B)	Assam
371 (C)	Manipur.
371 (D)	Andhra Pradesh
371 (E)	Andrapradesh (University)
371 (F)	Sikkim.
371 (G)	Mizoram
371 (H)	Arunachal Pradesh
371 (I)	Goa.
371 (J)	Karnataka.

संस्थाएँ (Bodies)

संविधानिक संस्था (Constitutional)	संविधिक संस्था (Statutory Body)	गैर-संविधानिक संस्था (Non-Constitutional)
संविधान में लिखा हो प्रावधान	जिस संस्था को विधि बनाकर लागू किया	ऐसी संस्था जो न लिखा हो और न विधि बना हो
CAG - 148	मानव अधिकार	नीति आयोग
EC - 324	महिला आयोग	NDC (National Development Commission)
UPSC - 315	लोकपाल CVC	
FC - 280	CIC	
SC - 338		
ST - 338(A)		
OBC - 338(B)		

KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

संविधानिक संस्थाएँ (constitutional)

निर्वाचन आयोग
Election Commission

संवैधानिक प्रावधान	भारत के संविधान भाग - 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन संबंधित प्रावधान है
आयोग की संरचना	एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य हैं (1+2) NOTE:- राष्ट्रपति सदस्यों की संख्या में बदलाव कर सकते हैं
नियुक्ति	मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
कार्यकाल	सभी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो
पद से हटाने की विधि	इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की भाँति उसी तरीके से हटाया जाता है राष्ट्रपति हटाते हैं. निर्वाचन आयोग को निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया है
कार्य	निर्वाचक नामावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, आचार संहिता लागू करना, राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति शासन के संबंध में रिपोर्ट देना !
	★ भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त - सुकुमार सेन ★ भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त - राजीव कुमार

संघ लोक सेवा आयोग Union Public Service Commission.

संवैधानिक प्रावधान	संविधान के भाग-14 में अनुच्छेद- 315 से 323 में एक संविधानिक संस्था है
संरचना	→ संघ लोक सेवा आयोग का 1 अध्यक्ष कुछ अन्य सदस्य द्वारा होता है सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है → वर्तमान में 9 सदस्य हैं कुल -10. → सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है
योग्यता	→ भारत सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष के कार्य का अनुभव रहा हो → अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं
कार्यकाल	पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो
पद से हटाना	→ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति पद से हटाता है → राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं → यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया हो पदावधि के दौरान अन्य वैतनिक कार्य कर रहा हो राष्ट्रपति की दृष्टि में शारिरिक और मानसिक अक्षमता सर्वोच्च न्यायलय के जाँच के बाद दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति हटा देते हैं
कार्य	→ अखिल भारतीय सेवाओं केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन → आयोग की परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित करना → सिविल सेवकों पदोन्नति अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना → UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद की पटल पर रखवाते हैं → UPSC की रिपोर्ट सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है संसद को आयोग के सुझावों को न मानने का कारण बताना होता है

* प्रथम UPSC chairman – Sir Ross Barker
* वर्तमान UPSC chairman – Manoj Soni.

राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission).

संवैधानिक प्रावधान	संविधान के भाग-14 के अनुच्छेद-315 से 323 में एक संविधानिक संस्था है।
संरचना	राज्य के राज्यपाल द्वारा एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है (सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है)
कार्यकाल	6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो।
पद से हटाना	अध्यक्ष या सदस्य कभी राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप सकते हैं लेकिन पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं।
कार्य	→ राज्य सरकार की नियुक्ति के परीक्षाओं का आयोजन करना। → प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। → राज्यपाल रिपोर्ट को विधान मंडल में रखवाते हैं। → रिपोर्ट को स्वीकार करने का कारण बताना होता है।

[संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग
Joint state Public service Commission]

→ दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल के आग्रह करने पर संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का स्थापना करता है।

→ राष्ट्रपति आयोग की सदस्यों की नियुक्ति करता है सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है।

→ कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो।

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)

संवैधानिक प्रावधान	→ संविधान के भाग-5 के अनुच्छेद-148 से 151 के मध्य CAG का वर्णन है → CAG को डॉ० बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है
नियुक्ति	CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है
योग्यता	→ संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है → संसद द्वारा कानून बनाकर योग्यता का निर्धारण किया जाता है लोक वित्त या सरकारी लोक सेवा विशेषज्ञ या 10 वर्ष तक लोक सेवा में रहा हो
कार्यकाल	→ CAG का कार्यकाल पद ग्रहण करने तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो → CAG को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है
पद से हटाना	→ Supreme Court के न्यायधीशों को पद से हटाने की भाँति → अपने पद पर रहने के बाद संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी और पद का पात्र नहीं होगा
वेतन	Supreme Court के न्यायधीश के बराबर (₹ 2,50,000)
कार्य	→ 1976 के पहले लेखांकन (Accounting) और लेखा परीक्षण (Audit) दोनों कार्य करता था परन्तु वर्तमान में 1976 के बाद से सिर्फ लेखा परीक्षण करता है → संचित निधि लोक लेखा निधि आकस्मिक निधि से होने वाले खर्च का लेखा-परीक्षण करता है → सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में रिपोर्ट तैयार करता है → CAG की रिपोर्ट भ्रष्टाचार रोकने का प्रमुख साधन है → CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति संसद में रखवाता है संसद इसे लोक लेखा समिति को जाती है और इसकी जाँच करते हैं → लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ-प्रदर्शक की संज्ञा दी जाती है

* भारत के प्रथम CAG – V. Narahari Rao

* भारत के वर्तमान CAG – गिरीश चन्द्र मुर्मू

वित्त आयोग (Finance Commission)

संवैधानिक प्रावधान	→ संविधान के भाग-12 के अनुच्छेद- 280 और 281 में इसका उल्लेख है। → यह एक संविधानिक एवं सलाहकारी संस्था है।
संरचना	सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है एक अध्यक्ष होता है।
योग्यता	अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोक मामलों का जाता हो।
कार्यकाल / अवधि	→ आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि तक पद धारण करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाए साथ ही वे अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। → वित्त आयोग की अवधि 5 वर्ष की होती है।
कार्य	→ भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना की संघ और राज्यों के मध्य करों (TAX) की प्राप्तियों का वितरण किस प्रकार किया जायेगा। → यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं। → वित्त आयोग द्वारा की सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है सामान्यतः सरकार इन्हें मान लेती है।

* वित्त आयोग का गठन - 1951
* प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष - के० सी० नियोगी
* वर्तमान में 15वे० वित्त आयोग चल रहा है - 2020-2025
* वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष - N.K. Singh.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled caste) (Article - 338)

संवैधानिक प्रावधान	→ NCSC का गठन 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम हुआ! → वर्ष 2004 में NCSC का गठन किया गया ! NOTE:- इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति (NCSC & ST) के लिए एक ही संस्था थी !
संरचना	→ 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं !
कार्यकाल	इनका कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है वर्तमान में कार्यकाल 3 वर्ष है !
कार्य	→ यह एक अर्ध-न्यायिक संस्था है ! → इसे सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है ! → SC जातियों से संबंधित कानूनों का क्रियान्वयन निरीक्षण अधीक्षण व समीक्षा ! → अनुसूचित जातियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विशेष शिकायतों की जाँच करना ! → अनुसूचित जातियों के संरक्षण हेतु किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना ! → राष्ट्रपति → संसद → स्वीकृति/अस्वीकृति का कारण बताता है! → राज्य की रिपोर्ट → राज्यपाल → राज्य विधानमंडल कारण बताना होता है ! → अनुसूचित जातियों के अत्याचार उत्पीड़न के मामले में स्वतः संज्ञान से कार्यवाही शुरू करना ! Example- अभी हाल ही में NCSC ने zomato पर अनुसूचित जातियों अनादर के खिलाफ केस किया है!

वर्तमान के अध्यक्ष - Bizay Sonkar Shastri.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) (Article - 338 (A))

संवैधानिक प्रावधान	→ 89 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद - 338 (A) जोड़ा गया ! → सन् 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया !
संरचना	→ 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य ! → सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है!
कार्यकाल	3 वर्ष होता है !
कार्य	→ जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण की समीक्षा करना ! → जनजातियों के अधिकारों के हनन की जाँच करना! → राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों के विकास के बारे में रिपोर्ट देना! → राष्ट्रपति → संसद → स्वीकृति / अस्वीकृति का कारण बताना! → राज्यपाल → विधानमंडल → स्वीकृति / अस्वीकृति का कारण बताना होता ! → अर्ध - न्यायिक संस्था है ! → सिविल कोर्ट की शक्ति होती है ! → किसी को भी जाँच का समन दे सकती है ! → PESA ACT को लागू कराने का कार्य !

वर्तमान के अध्यक्ष – Harsh chauhan.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (Article-338(B))
(National Commission for BackWard Caste)

संवैधानिक प्रावधान	→ भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के संरक्षण के लिए 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग एक सांविधिक संस्था बना। → 102 वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से NCBC को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया।
संरचना	→ 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य। → सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
कार्यकाल	3 वर्ष होता है।
कार्य	→ पिछड़े वर्गों को जो सुरक्षा प्राप्त है उसे लागू किया जा रहा है या नहीं इस बात की जाँच कर और निगरानी करना। → अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जाँच करना। NOTE :- यह अर्द्ध न्यायिक संस्था है। :- सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। → वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। → राष्ट्रपति → संसद → कारण बताना। → राज्यपाल → विधानमंडल → कारण बताना।

* वर्तमान अध्यक्ष – हंसराज गंगाराम अहीर

संविधिक संस्थाएँ (statutory Body)

जिस संस्थाओं का निर्माण संसद ने विधि बनाकर किया है परन्तु वर्णन संविधान के अनुच्छेद में नहीं है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (National commission for Women)

संविधिक प्रावधान	यह एक संविधिक संस्था है इसका गठन वर्ष 1992 में किया गया था।
संरचना	→ 1 अध्यक्ष 5 सदस्य। → किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति या जनजाति से होना आवश्यक है। → सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
कार्यकाल	3 वर्ष का होता है।
पद से हटाना	सरकार अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकती है पागल, दिवालिया या लगातार 3 बैठको अनुपस्थित हो।
कार्य	→ महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों हेतु सुरक्षा और उपाय करना। → महिला संबंधी कानूनों की समीक्षा करना। → आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना। → कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न सोशल जैसी व्यक्तिगत शिकायतों की जाँच करना। → महिला आयोग को सिविल न्यायलय की शक्ति प्राप्त है किसी को भी समन जारी कर सकता है।

वर्तमान अध्यक्ष – रेखा शर्मा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(National Commission for Minorities)

संवैधिक प्रावधान	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के माध्यम से वर्ष 1993 में किया गया !
संरचना	→ 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष 5 सदस्य ! → अध्यक्ष सहित पाँची सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदाय का होना जरूरी है !
कार्यकाल	3 वर्ष का होता है !
कार्य एवं शक्तियाँ	→ संघ एवं राज्यो के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ! → संविधान द्वारा दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना ! → अल्पसंख्यकों से जुड़ी भेद-भाव की समस्याओं का समाधान हेतु सुझाव देना ! → इसे भी सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं ! → किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है !

* वर्तमान अध्यक्ष – इकबाल सिंह लालपुरा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission)

संविधिक प्रावधान	→ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया है! → इसका गठन 12 Oct 1993 को एक संविधिक संस्था के तौर किया गया। 10 DEC को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं!
संरचना	→ 1 अध्यक्ष जो Supreme Court का मुख्य न्यायधीश या न्यायधीश रहा हो! → 1 सदस्य जो supreme Court का न्यायधीश है या रहा हो! → 1 सदस्य जो किसी High Court का मुख्य न्यायधीश है या रहा हो! → 3 सदस्य मानव अधिकारों के जानकार उसमें 1 महिला हो! → 7 पदेन सदस्य 1. NCBC के अध्यक्ष! 2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग! 3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग! 4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 5. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग! 6. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष! 7. राष्ट्रीय दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त। → आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है (समिति की सिफारिश पर) ↳ PM, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री!
कार्यकाल	3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो!
कार्य	→ मानव अधिकारों का संरक्षण करना! → मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को प्रभावी करना!

* वर्तमान अध्यक्ष – न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance commission)

संवैधिक प्रावधान	→ भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित करके आयोग की स्थापना की गई। → 1998 में CVC को संवैधिक दर्जा दिया गया 2003 में संसद द्वारा विधेयक पारित करके 2004 में भारत में एजेंसी की रूप में CVC की स्थापना की गई।
संरचना	एक अध्यक्ष (सतर्कता आयोग) + 2 सदस्य .
नियुक्ति	→ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। → राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं इस समिति में प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा के विपक्ष के नेता की सिफारिश के आधार पर की जाती है।
कार्यकाल	4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो।
	NOTE:- कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते।
पद से हटाना	→ राष्ट्रपति इसको (CVC) पद से हटा सकते हैं निम्नलिखित परिस्थितियों में दिवालिया न हो, चरित्रहीन होन पर, किसी अपराध में दोषी पाने पर, भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर।
कार्य एवं शक्तियाँ	→ यह आयोग भारत में ऐसी शिकायतों की जाँच करता है जिसमें किसी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। → NOTE:- CVC एक जाँच संस्था नहीं है यह भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच CBI और CVO (cheif vigilance officer) के माध्यम से करवाती है। → भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बनाई गई CBI द्वारा किए गए कार्य की प्रगति और समीक्षा करना। → भारत सरकार और राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों तथा उनके समानांतर कर्मियों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जाँच करना। → केन्द्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना।
रिपोर्ट	→ CVC अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक पटल पर रखवाते हैं। → NOTE:- आयोग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु VIGEYE नाम पोर्टल का प्रारंभ किया गया है।

* वर्तमान अध्यक्ष – श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट -2011

- लोकहित में गोपनीय सूचनाओं को प्रकट करने वाले व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए यह अधिनियम लाया गया
- 2014, में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया

KHAN GLOBAL STUDIES
Karan Sir

केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission)

संविधिक प्रावधान	* सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सही से लागू करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना की गई।
संरचना	* 1 मुख्य सूचना आयुक्त + अन्य आयुक्त लेकिन 10 से अधिक नहीं।
नियुक्ति	* राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। * राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक कैबिनेट मंत्री (प्रधान मंत्री चयन करते हैं)।
योग्यता	सार्वजनिक जीवन का विशेष अनुभव हो।
कार्यकाल	ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं।
पद से हटाना	राष्ट्रपति चरित्रहीनता मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर होने पर पद से हटा सकते हैं।
कार्य एवं शक्तियाँ	इसका मुख्य कार्य सूचना के अधिकार को लागू करना होता है अधिनियम के अधीन किसी जानकारी के देने को लिए बाध्य किया गया हो इनकार किया गया हो समय सीमा के अंतर्गत जानकारी न मिली हो जानकारी गलत या अपूर्ण हो अधिक फीस ली गई हो ऐसे मामलों की शिकायत अधिकारियों पर दंड आरोपित करने की शक्ति CIC में निहित होती है।

* वर्तमान अध्यक्ष → श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

नीति आयोग (NITI Ayog)

~~नीति आयोग एक गैर-संविधानिक संस्था है इसका निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया गया है~~

संविधिक प्रावधान	नीति आयोग एक गैर-संविधानिक संस्था है इसका निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया गया है नीति आयोग की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा 01 Jan 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था यह सरकार थिंक टैंक है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है
संरचना	इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री संघ राज्य क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं CEO (cheif executive officer) - जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं पदेन सदस्य (Ex-officio Members) केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं
कार्य	नीति आयोग किसी नीति निर्माण के निर्माण की रूपरेखा तैयार करना सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना नीति का मूल्यांकन और पुर्वलोकन करना थिंक टैंक के रूप में नया ज्ञान प्रदान करना नीति आयोग भारत में SDG India Index, Water Index आदि सूचकांक भी जारी करता है

* वर्तमान अध्यक्ष → श्री नरेन्द्र मोदी
* वर्तमान उपाध्यक्ष → सुमन बेरी
* वर्तमान CEO → V.V.R. Subrahmanyam.

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

संशोधन (Amendment)

→ भारत के संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद-368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है यह प्रावधान न्यायिक पूर्वलोकन के अधीन है।

NOTE:-

→ संविधान एक चलित दस्तावेज है समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव (संशोधन) किया जाता है संविधान संशोधन संसद द्वारा किया जाता है राज्यों द्वारा नहीं।

→ संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति न्यायिक पूर्वलोकन के अधीन है।

संविधान में संशोधन

- साधारण बहुमत
  - → 50% +1
  - → ये अनु०-368 के तहत नहीं होता है।
  - Ex- अनु०- 1,2,3,4 साधारण बहुमत।
- विशेष बहुमत
  - 2/3 का बहुमत उपस्थित मतदान।
  - 2/3 संसद + आधे से अधिक राज्य का अनुसमर्थन।

भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है!

साधारण बहुमत :- 50% से 1 अधिक बहुमत इसके तहत अनु० - 1, 2, 3, 4 आदि!

विशेष बहुमत :- 2/3 उपस्थित मतदान!

विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्य का अनुसमर्थन!

NOTE:-

→ संघीय ढाँचे में परिवर्तन
→ राष्ट्रपति का निर्वाचन
→ निर्वाचन की रीति
→ सर्वोच्च न्यायालय
→ उच्च न्यायालय
→ 7वीं अनुसूची

प्रमुख संविधान संशोधन

प्रथम संविधान संशोधन, 1951

→ 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके प्रावधानों को न्यायिक पुर्वलोकन से बाहर किया गया अनुच्छेद - 15(4) जोड़ा गया SEBC और SC,ST को विशेष आरक्षण !

7वां संविधान संशोधन, 1956

→ दो राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का होना !

→ राज्यों की A B C D category खत्म करके 14 राज्य 6 Union Teritory बनी !

9वां संविधान संशोधन, 1960

→ बेरूवारी संघ (प० बंगाल) के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया !

10वां संविधान संशोधन 1961

→ दादर - नागर हवेली भारतीय केन्द्र शासित प्रदेश में शामिल हुआ !

11 वाँ संविधान संशोधन, 1962

→ गोवा दमन द्वीप UT में जुड़ा है!

13 वाँ संविधान संशोधन, 1962

→ अनुच्छेद - 371(A) के तहत विशेष दर्जे के साथ नागालैंड का गठन किया गया था!

14 वाँ संविधान संशोधन, 1962

→ पुडुचेरी में विधान सभा का प्रावधान किया गया!

→ हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गोवा दमन और पुडुचेरी में केन्द्रशासित प्रदेशों को विधायिका और मंत्रिपरिषद् प्रदान की गई!

21 वाँ संविधान संशोधन 1967.

→ सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया!

26 वाँ संविधान संशोधन 1971.

→ देशी रियासतों के शासकों को मिलने वाला प्रिवी पर्स के अधिकार को समाप्त कर दिया!

31वाँ संविधान संशोधन 1972

- लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई।

32वाँ संविधान संशोधन 1973

- आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया।

35वाँ संविधान संशोधन 1974

- सिक्किम को भारत का सह-राज्य बनाया गया।

36वाँ संविधान संशोधन 1975

- सिक्किम को भारत का 22वाँ पूर्ण राज्य बनाया गया।

42वाँ संविधान संशोधन 1976

- संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
- प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्द जोड़े गए।

44वाँ संविधान संशोधन 1978

- इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद - 300(A) में कानूनी अधिकार बना दिया गया।
- राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह को एक बार पुर्नविचार के लिए लौटा सकते हैं।

52 वाँ संविधान संशोधन, 1985

→ इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।

61 वाँ संविधान संशोधन, 1989

→ वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

65 वाँ संविधान संशोधन, 1990

→ अनुच्छेद - 338 के अंतर्गत SC, ST आयोग का गठन किया गया।

69 वाँ संविधान संशोधन, 1991

→ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया।

71 वाँ संविधान संशोधन, 1992

→ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8 वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

73 वाँ संविधान संशोधन, 1992

→ पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

→ इसमें भाग - 9 और 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई (इसमें 29 विषय हैं)

74 वां संविधान संशोधन, 1992

→ शहरी स्थायी निकाय

→ भारतीय संविधान में एक नया भाग - 9(A) और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।

86 वां संविधान संशोधन, 2002

→ संविधान में अनुच्छेद - 21(A) जोड़ा गया।

→ 6-14 साल के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया।

92 वां संविधान संशोधन, 2003

→ इसके माध्यम से बोडो डोगरी मैथिलि और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।

97 वां संविधान संशोधन, 2011

→ सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

→ अनुच्छेद - 43(B) को DPSP में जोड़ा गया।

→ इसके माध्यम से संविधान में भाग - 9(B) जोड़ा गया।

100 वां संविधान संशोधन, 2015

→ भारत - बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता।

101 वाँ संविधान संशोधन, 2016

→ GST पेश किया गया था।

102 वाँ संविधान संशोधन, 2018

→ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद- 338 (B) में संवैधानिक दर्जा दिया गया।

103 वाँ संविधान संशोधन, 2019

→ सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान।

104 वाँ संविधान संशोधन, 2020

→ SC, ST के आरक्षण को लोकसभा राज्य विधान सभा में 10 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया!

→ आंग्ल भारतीय के आरक्षण को रोक दिया गया।

105 वाँ संविधान संशोधन, 2021

→ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अलग-अलग अपनी OBC List तैयार कर सकती है।

भारत का संवैधानिक विकास

Constitutional Development of India.

→ विभिन्न यूरोपियों देशों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आए जिनका क्रम :-

पुर्तगाली → डच → ब्रिटिश → डेनिश → फ्रांसिसि → स्वीडिश

→ विभिन्न यूरोपियों देशों को भारत के साथ व्यापार करने पर मोटा मुनाफा प्राप्त हो रहा था इस क्रम में ब्रिटिश की कुछ समूह जिसे Merchant of Adventure कहते हैं इसमें 217 साझीदार में ब्रिटिश की तात्कालिक महारानी Queen एलिजाबेथ - I के पास व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए गए।

→ 31 Dec 1600 को महारानी ने भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी।

→ जेम्स - I ने अनिश्चित काल के लिए भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की सन् 1609 में।

→ जेम्स - I ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को अपना दूत बनाकर जहाँगीर के दरबार में भेजा।

→ कैप्टन विलियम हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला दूत था।

सन् 1615 में टॉमस रो को भारत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की गई

पहला यूरोपिय व्यक्ति वास्कोडिगामा 1498 में आया

पहला ब्रिटिश व्यक्ति जॉन - मिलडेनहॉल आया था 1608 में

भारत में अंग्रेजो ने सर्वप्रथम प्लासी का युद्ध लड़ा प्लासी के युद्ध में रार्बट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराउद्दौला को हरा दिया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया

मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना

बक्सर का युद्ध (1764) में बंगाल का नवाब मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम-II को कैप्टन हेक्टर मुनरो ने हरा दिया

बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैद शासन की स्थापना की गई जिसने प्रशासन नवाब को दे दिया और दीवानी (Revnue) कंपनी को दे दिया

द्वैद शासन में कंपनी ने बंगाल को जमकर लुटा इसकी खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हो गई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए आगे प्रयास किए।

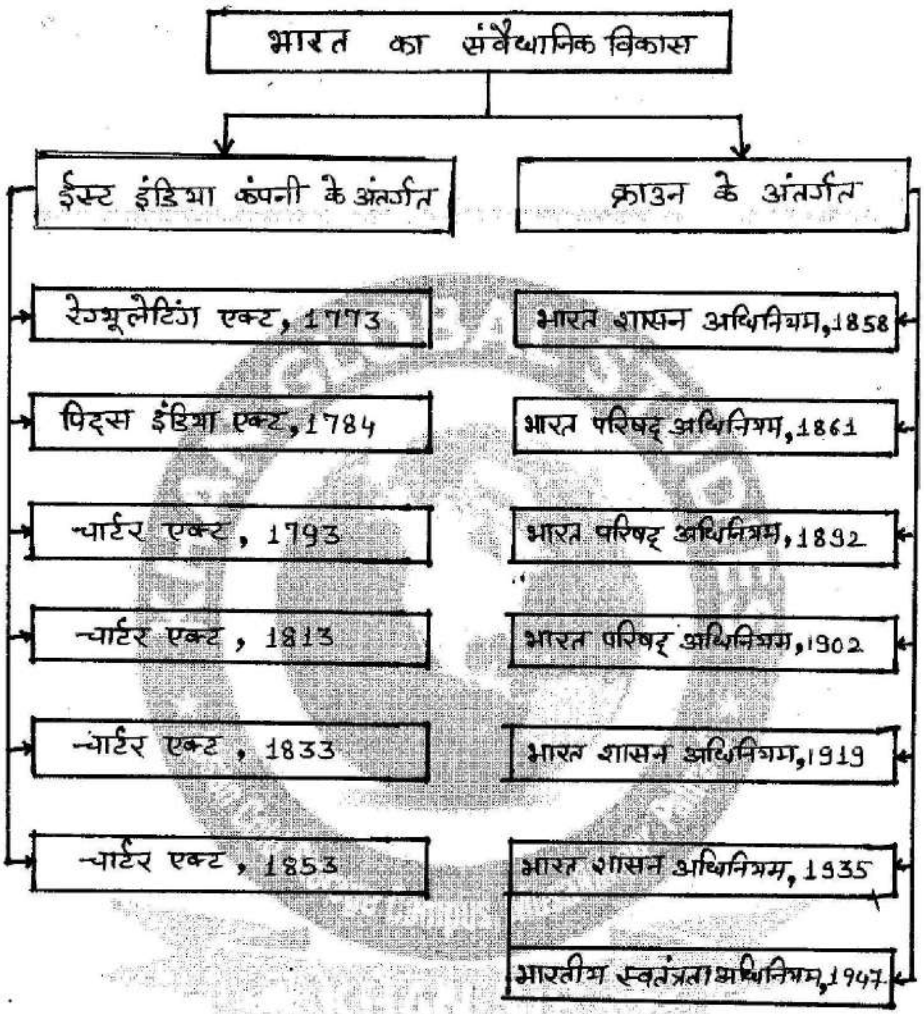
भारत का संवैधानिक विकास
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत
क्राउन के अंतर्गत
रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
चार्टर एक्ट, 1793
चार्टर एक्ट, 1813
चार्टर एक्ट, 1833
चार्टर एक्ट, 1853
भारत शासन अधिनियम, 1858
भारत परिषद् अधिनियम, 1861
भारत परिषद् अधिनियम, 1892
भारत परिषद् अधिनियम, 1902
भारत शासन अधिनियम, 1919
भारत शासन अधिनियम, 1935
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
Regulating Act, 1773

- इस एक्ट द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनें!
- मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधिन कर दिया!
- गवर्नर जनरल 4 सदस्यों की परिषद् के साथ शासन करेगा!
- कलकत्ता में Supreme Court की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायधीश और 3 अन्य न्यायधीश थें!

एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781
Act of Settlement, 1781

- 1781, का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1773, के रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया। सर्वोच्च न्यायलय और गवर्नर जनरल की परिषद् के मध्य सीमांकन किया गया!
- सर्वोच्च न्यायलय के अधिकार क्षेत्र से कंपनी को बाहर कर दिया!
- सर्वोच्च न्यायलय न्याय करेगा और गवर्नर जनरल प्रशासन करेगा!

→ भारतीयों के कानून, भारतीयों की प्रथा और धर्म को ध्यान में रख के बनाया जाएगा।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
Pitt's India Act, 1784

→ इस अधिनियम को विलियम पिट की सरकार में तैयार किया गया इसके माध्यम से Board of Control की स्थापना की गई जो प्रशासन का कार्य देखेगी।

→ Board of Directors व्यापार देख रहा था और Board of Control प्रशासन का कार्य देख रहे थे इसमें 6 सदस्य थे।

→ कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया।

चार्टर एक्ट, 1786
Charter Act, 1786

→ गवर्नर जनरल को ब्रिटिश आर्मी का कमांडर इन चिफ भी बना दिया गया।

चार्टर एक्ट, 1793
Charter Act, 1793

- कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगली 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
- गवर्नर जनरल को परिषद् की सलाह को अस्वीकार करने की शक्ति दे दी।
- Board of Control के अधिकारियों का वेतन भारत से पा रहा था।
- लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है इसी इसकी स्थापना 21 April 1793 में किया था।

चार्टर एक्ट, 1813
Charter Act, 1813

- भारत के साथ कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
- चाय का व्यापार।
- चीन के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार बना रहा।
- भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये दिए गए।

चार्टर एक्ट, 1833
Charter Act, 1833

- कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया
- अब कंपनी पूर्णतः प्रशासनिक कार्य करेगा।
- प्रशासन का एकीकरण और केन्द्रीकरण किया गया।
- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
- गवर्नर जनरल को परिषद् में 4 विधि परिषद् में जोड़ा गया और गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए कानून बना रही थी।
- विधि आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बनें।
- 1835, में अंग्रेजी भाषा भारत की अधिकारिक भाषा बनी।
- ICS की खुली प्रतियोगिता का आयोजन।
- भारतीयों के साथ कंपनी के नौकरी में जाति, धर्म, लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं होगा।
- भारत में अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा दिया गया।

चार्टर एक्ट, 1853
Charter Act, 1853

- → भारत में अखिल भारतीय विधान परिषद् की स्थापना की गई इसमें 12 सदस्य थें।
- → यह गवर्नर जनरल की अनुमति से संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण करती थी।
- → बंगाल में Lt. Governor का पद बनाया।
- → Board of Directors की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई।
- → भारतीय सिविल सेवा (ICS) के लिए लिखित परीक्षा शुरू की गई। लिखित परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी।

NOTE:-

- → प्रथम भारतीय ICS परीक्षा पास की – सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
- → प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बने – सतेन्द्र नाथ टैगोर

1857, की क्रांति के कारण

- → ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में प्रशासन का कार्य करने लगी थी इसके व्यापारिक कार्य अब समाप्त हो चुके थें।
- → क्षेत्रीय राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन ने हड़प लिया था।
- → सेना ने विद्रोह कर दिया।

ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम
Acts passed Under the British Crown.

[भारत शासन अधिनियम, 1858]

→ 1858 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटिश crown ने कंपनी के हाथों से ले लिया 01 Nov 1858 Queen Victoria भारत की शासिका बनी। महारानी की इस घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिन्टो पार्क में!

→ कंपनी ने Board of Directors and Board of control को समाप्त कर दिया उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्री मंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। इस सदस्य को भारत राज्य सचिव (secretary of state of India) कहते हैं!

→ भारत राज्य सचिव को सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद् का गठन किया गया उनका वेतन भारतीय राजस्व पर भारित था!

→ भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय वायसराय बना दिया गया!

→ लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना!

[भारत शासन अधिनियम, 1861
Indian Council Act, 1861]

→ गवर्नर जनरल में कार्यकारी परिषद् में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई!

→ वायसराय की विधान परिषद् में 3 भारतीय को मनोनित किया गया बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव!

- 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया गया (विल्सन द्वारा)।
- 1861 में IPC (Indian penal code) लायी गई।
- वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।
- भारतीय शासन में विभागीय प्रणाली (Port folio system) की शुरूआत की गई।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
Indian council Act, 1892

- वार्षिक बजट पर भारतीय को बहस करने का अधिकार दे दिया गया और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया परन्तु इसका उत्तर देना न देना परिषद् के अध्यक्ष पर निर्भर करता था।

NOTE:-

- बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गयाथा।
- भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी ये स्थापना भारतीयों के प्रशासन में शामिल होने की तीव्र इच्छा की शैफ्टी वाल्व थी।
- अंग्रेजों ने भारतीय जन मानस के बीच फूट डालने का कार्य किया।
- 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया।
- 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909
Indian Council Act, 1909

- वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् 1 भारतीय को शामिल किया गया सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जो विधि सदस्य बनें।
- भारतीय को बजट पर चर्चा करने पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
- पहली बार केंद्रीय विधान परिषद् हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचक की व्यवस्था की गई।
- लॉर्ड मार्ले इंगलैंड में भारत के राज्य सचिव थे मिन्टो भारत के वायसराय थें।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1919
Indian Council Act, 1919

- 1919 का अधिनियम भारतीय शासन में उत्तरदायित्व सरकार की शुरूआत करता है।
- वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में अब 3 भारतीय होगें भारतीयों के मताधिकार में वृद्धि महिलाओं का मताधिकार प्रांतो में द्वैध शासन की शुरूआत की गई।
- प्रांतो में द्वैध शासन के माध्यम से गवर्नर ने विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो श्रेणी में बॉट दिया।
- गवर्नर आरक्षित विषयों पर मनोनित सदस्यों के साथ कानून का निर्माण करता था।

केन्द्र में द्वि - सदनीय विधायिका

→ केंद्रीय विधान परिषद् /सभा।

→ राज्य परिषद् की शुरूआत की गई।

→ संघ और राज्य के मध्य विषयों का बँटवारा।

→ 1919 के अधिनियम का साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए भारत में इसका विरोध किया गया। लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इस अधिनियम के विरोध में मोती लाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट संविधान का पहला ब्लू प्रिंट थी इसकी अस्वीकार करने पर मोती लाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की बात की जवाहर लाल नेहरू ने इसके विरोध में पूर्ण स्वराज की मांग की।

→ ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, (क्रमश: 1930 1931 1932), गाँधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया और मौलिक अधिकारों की मांग की।

→ इसके आधार पर 1935 का अधिनियम बनाया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1935
Govt. of India Act, 1935

→ 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत में संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। प्रांतो में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया।

→ केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई और केन्द्र के विषयों को संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँट दिया गया।

→ 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।

→ 1937 में भारत को वर्मा से अलग कर दिया गया।

→ RBI की स्थापना की गई।

→ इस अधिनियम को 1936 से लागू किया गया।

→ इसके आधार पर 1937 में चुनाव हुआ। कांग्रेस की अधिकांश प्रांतो में सरकार बनी। 28 माह तक Oct, 1939 तक कांग्रेस की सरकार चली। सरकार गिरने पर 22 Dec, 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया।

अगस्त प्रस्ताव, 1940

- 08 August, 1940 को अंग्रेजो ने भारत में अगस्त प्रस्ताव भेजा जिसमें युद्ध की समाप्ति के बाद स्वराज और संविधान सभा देने की बात कही। उसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसे दरवाजे पर जंग लगी कील कहा!

- इसके विरोध में 17 Oct 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई जिसमें प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे!

क्रिप्स प्रस्ताव, 1942.

- क्रिप्स प्रस्ताव सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया 22 March 1942 को दिल्ली पहुँचा इसमें युद्ध के बाद भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी!
- युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतो के चुने हुए प्रतिनिधि और देशी रियासतो के प्रतिनिधि शामिल होगें!
- मुस्लिम लीग की मांग सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया!
- भारतीयों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया!

→ महात्मा गाँधी जी ने इसे Post Dated Cheque कहा!

→ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डूबते बैंक का cheque कहा!

→ इसके विरोध में महात्मा गाँधी ने 08 Aug 1942 को **भारत** छोड़ो आंदोलन की शुरूआत की और महात्मा गाँधी ने करो या मरो का नारा दिया!

→ 06 Aug, 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा कर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ जिसके बाद UNO की स्थापना हुई विश्व शांति। ब्रिटिश की आर्थिक हालत खराब हुई गुलाम देशों को आत्म-निर्भर करने का विश्व समाज का दबाव!

→ इसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ और कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया!

[भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
Indian Independence Act, 1947]

→ इस अधिनियम के द्वारा 15 Aug 1947 को भारत और 14 Aug. 1947 को पाकिस्तान नाम दो अधिराज्य बन गए!

लोकपाल

- वर्तमान समय में दुनिया के अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है इसको रोकने के लिए स्वीडन ने 1809 में लोकपाल (ओम्बुड्समैन) नाम की संस्था का गठन किया।

- भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु लोकपाल तथा लोकायुक्त की सिफारिश की जाए।

- 2013, में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नाम की संस्था का प्रावधान किया गया।

लोकपाल की नियुक्ति

- भारत में राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करता है।

भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति

- 23 March 2019, को राष्ट्रपति द्वारा supreme Court के सेवानिवृत्त न्यायधीश पिनाकी चन्द्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया।

NOTE:-

- इनका चयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया गया। इस समिति के supreme Court के मुख्य न्यायधीश, लोक सभा के अध्यक्ष और एक विधि वेता थे।

लोकपाल की संस्था की संरचना

लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों के 50% न्यायिक पृष्ठभूमि के और 50% SC, ST के

इन सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है

इसके अध्यक्ष को लोकपाल कहते हैं

लोकपाल के कार्य

- प्रधानमंत्री (कुछ बाध्यताओं के साथ) केन्द्र सरकार के सभी मंत्री केन्द्र सरकार के सभी A, B, C, D के सभी कर्मचारी के ऊपर लगी आरोपों की जाँच करता है लोकपाल
- लोकपाल अपनी जाँच CBI के माध्यम से करता है

लोकायुक्त

→ 2013 के लोकपाल तथा लोकायुक्त के अधिनियम के माध्यम् से राज्यों ने लोकायुक्त नियुक्त किए !

NOTE:-

→ सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 1971 में महाराष्ट्र में हुई !

→ लोकायुक्त युक्त का अधिनियम सबसे पहले उड़ीसा द्वारा पेश किया गया 1970 में !

→ राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है जिसके लिए राज्यपाल विपक्ष के नेता राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के साथ परामर्श करता है !

NOTE:-

प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त का क्षेत्र अधिकार अलग-अलग है !

→ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार और उड़ीसा में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के जाँच अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा है !

- बिहार के प्रथम लोकायुक्त – श्रीधर वासुदेवा सोहोनि !
- बिहार के वर्तमान लोकायुक्त – श्याम किशोर शर्मा !

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

भाग - 17 (Article - 343-351)

राजभाषा
Official Language.

- संघ की राजभाषा (Art-343-344)
- प्रथम अथवा प्रादेशिक (Art-345-347)
- उच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलयो की भाषाएँ (Art-348-349)
- भाषा संबंधी विशेष निर्देश (Art-350-351)

→ भारत की आजादी के बाद हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रयास किया गया।

→ मुंशी आयंगर फार्मूला के बाद 14 sept, 1949 को हिन्दी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।

[संघ की राजभाषा
Official Language of the union]

Article - 343

→ संघ की राजभाषा हिन्दी है लिपि देवनागरी संख्याएँ अंतर्राष्ट्रीय होगी।

→ 26 Jan 1950, को हिन्दी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया।

→ 1963 में राजभाषा अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को संघ के सभी राजकीय प्रयोग करने की अनुमति दी।

राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967.

→ इस अधिनियम ने यह प्रावधान कर दिया अंग्रेजी और हिन्दी दोनों का प्रयोग राजकीय भाषा के लिए हमेशा के लिए किया जाएगा।

राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएँ
State or Regional Languages.

Article - 345

→ प्रत्येक राज्य विधान मंडल को अपनी राज्य और प्रादेशिक भाषा चुनने या बनाने का अधिकार है।

→ राजकीय भाषा बनाने तक अंग्रेजी राजकीय भाषा के तौर पर इस्तेमाल होगी।

→ इसी आधार पर भारत के 9 राज्य (उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश) इनकी राजभाषा हिन्दी को स्वीकार किया गया है।

उच्चतम उच्च एवं अन्य न्यायालयों की भाषा

→ अनुच्छेद - 348 के अनुसार Supreme Court की भाषा सिर्फ अंग्रेजी है Supreme Court सिर्फ अंग्रेजी में सुनवाई करता है !

→ Supreme Court के सभी आदेश निर्णय सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगें !

उच्च न्यायालय

→ High Court की अधिकारिक भाषा अंग्रेजी है परन्तु राष्ट्रपति और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से कार्यवाही हिन्दी में संचालित हो सकती है परन्तु High Court के निर्णय, आदेश अंग्रेजी भाषा में ही होगें।

संसद की काम - काज की भाषा

→ संसद में काम - काज की भाषा हिन्दी और अंग्रेजी दोनो होगी। लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

इस हाशिये में उम्मीदवार कुछ न लिखें
Candidate should not write in this margin

राजभाषा आयोग
Offical Language Commission

→ अनुच्छेद - 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे!

→ संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन बी० जी० खेर के अध्यक्षता में किया गया था!

→ इस आयोग ने 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के प्रतिनिधि होते हैं!

भाषा संबंधी विशेष निर्देश
Special Directives

→ अनुच्छेद - 350 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी ऐसी किसी भाषा मे आवेदन दे सकता है ~~xxxx~~ जो भाषा या राज्य में प्रयोग की जाती है!

NOTE:-

→ राष्ट्रपति द्वारा भाषा अल्पसंख्यक वर्गों एक आयुक्त नियुक्त प्रदान करने का प्रावधान किया गया है!